



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2011 ई0
बैशाख 09, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 182/XXXVI(3)/2011/15(1)/2011

देहरादून, 29 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

विविध

“ भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2011” पर दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 17 वर्ष, 2011 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011

{उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 17 वर्ष 2011}

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिये;

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए—

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक उत्तराखण्ड कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) जिसे यहाँ मूल अधिनियम कहा गया है, में—

धारा 3 के खण्ड (ग) तथा खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे; अर्थात्—

“(ग) “होटल” के अन्तर्गत ऐसी आवासीय इकाई, (टैन्ट से निर्मित इकाई भी सम्मिलित है) जिसमें ग्राहकों को किराए पर कमरे दिये जाते हैं तथा इसमें कारोबार के उद्देश्य से कॉन्फ्रेस हॉल, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी हॉल, मण्डप, क्लब, लोज, टैन्टेज रिसोर्ट एवं खुले स्थान के स्वामियों द्वारा किराये के विरुद्ध उपलब्ध कराये गये स्थान भी सम्मिलित हैं किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार के पर्यटन विभाग की पेइंग गेस्ट योजना के अधीन अनुमोदित इकाइयाँ सम्मिलित नहीं है;

(ज) “किराया” का तात्पर्य किसी होटल के कमरे या कमरों की कोष्ठावल के अधिभोगियों एवं कारबार के उद्देश्य से उपलब्ध कराये गये कॉन्फ्रेस हॉल, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी हॉल, मण्डप, क्लब, लोज, टैन्टेज रिसोर्ट एवं खुले स्थान के विरुद्ध वास्तविक रूप में प्राप्त किये गये समस्त अधिभार, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के योग से है और इसके अन्तर्गत वातानुकूलन, कूलर, हीटर, गीजर, ब्लोअर, टेलिफोन, टेलिविजन, रेडियो, पैकेज डील संगीत, मनोरंजन, अतिरिक्त शैय्या, स्वीमिंगपूल, स्पा, स्वास्थ्यवर्धक अन्य कार्यक्रम, ब्यूटी पार्लर तथा लिनेन से निर्मित वस्तुएँ भी सम्मिलित हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत भोजन या पेयों या ऐसी वस्तुओं के प्रभार, जिनकी बिक्री पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन वाणिज्य कर देय है, सम्मिलित नहीं है।”

धारा 4 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) व (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेगी; अर्थात् :-

“(1) प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जो किसी होटल में सुख-साधन से व्यवस्थित कोई कमरा या कमरों की कोष्ठावलि किराए पर लेता है तो निम्नलिखित सुख-साधन कर देय होगा-

किराया प्रतिदिन	सुख-साधन कर की दर
(क) रु0 1000 से रु0 3500 तक	5 प्रतिशत
(ख) रु0 3500 तक से अधिक	10 प्रतिशत

(2) कारबार के उद्देश्य से कॉन्फ्रेस हॉल, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी हॉल, मण्डप, क्लब, लोज, टैन्टेज रिसोर्ट एवं खुले स्थान उपलब्ध कराने पर जहाँ किराया प्रतिदिन रुपये 10,000.00 से अधिक हो, किराया का 05 प्रतिशत।”

धारा 5 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में प्रयुक्त शब्द “अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज” के स्थान पर शब्द “15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज” रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन 5. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के बाद उपधारा (3) जोड़ दी जायेगी; अर्थात्-

“(3) पंजीयन :

कोई होटल का स्वामी, जो इस अधिनियम के अधीन सुख-साधन कर का दायी है, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाय, होटल का पंजीयन करायेगा;

परन्तु यह कि होटल स्वामी जो सुख-साधन कर के लिये दायी है, को अपना पंजीयन कराने के लिये, उस तारीख से, जब से वह प्रथम बार ऐसे सुख-साधन कर भुगतान करने के लिये दायी होगा, तीस दिन का समय अनुमन्य होगा;

परन्तु यह और कि जो होटल स्वामी सुख-साधन कर का भुगतान कर रहे हों, वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से तीस दिन के अन्दर ऐसी रीति के अनुसार, जैसी कि विहित किया जाय, पंजीयन हेतु आवेदन करेंगे।”

धारा 7 का संशोधन 6. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्—

“7. (1) कर के स्थान पर प्रशमन फीस का संदायः—

इस अध्याय में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कर निर्धारण प्राधिकारी किसी होटल के स्वामी को अनुज्ञा दे सकता है कि वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, इस अध्याय के अधीन देय कर के स्थान पर प्रशमन के रूप में एकमुश्त धनराशि का भुगतान करेगा।

(2) समाधान योजनाः

समस्त पंजीकृत होटल, जिनके प्रति कमरे का किराया रुपया 1000.00 से रुपया 2000.00 तक है तथा होटल के कमरों की संख्या 20 तक है, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों जैसी कि विहित की जाय, के अधीन रहते हुए, वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर के बदले एकमुश्त समाधान धनराशि स्वीकार करने के लिये करार कर सकते हैं।

(3) जहाँ किसी होटल के सम्बन्ध में किसी अवधि के लिये समाधान धनराशि स्वीकार कर ली गयी है, तो कर की दर में किसी परिवर्तन का, जो ऐसे करार की तारीख के पश्चात् प्रवृत्त हो, यह प्रभाव होगा कि कर निर्धारण की अवधि के उस भाग के सम्बन्ध में, जिसमें परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, एकमुश्त धनराशि या करार हुई दर में आनुपातिक परिवर्तन हो जायेगा।

(4) जहाँ राज्य सरकार की ऐसी राय हो कि कर के बदले एकमुश्त समाधान धनराशि की कोई योजना अब जारी रखना लोक हित में नहीं है तो वह उस अवधि के दौरान किसी समय ऐसी योजना को वापस ले सकती है और उस स्थिति में यदि समाधान धनराशि की कोई एकमुश्त राशि निश्चित कर दी गयी है तो अवधि के जिस भाग के दौरान वह योजना लागू रही है, उसके अनुपात में ऐसी राशि का भाग होटल स्वामी द्वारा देय होगा।”

धारा 10 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के बाद एक, नयी उपधारा (3) जोड़ दी जायेगी; अर्थात् :-

“(3) इस अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिये उत्तरदायी होते हुए भी पंजीयन प्राप्त करने के लिये उसके जिम्मेदार होने की तारीख से धारा 6

के उपबन्धों के अधीन पंजीयन प्राप्त किये बिना होटल चलाता है या चालू रखता है, तो प्रथम तीन महीने में व्यतिक्रम के लिये प्रत्येक महीने या उसके भाग के निमित्त दो सौ रुपया और प्रथम तीन के पश्चात् प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये जिसमें व्यतिक्रम किया जाता रहे, पाँच सौ रुपया अर्धदण्ड का दायी होगा।”

आज्ञा से,
राम सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of “**The Uttarakhand Taxation and Land-Revenue Laws (Amendment) Act, 2011**” (Adhinyam Sankhya 17 of 2011).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 25, 2011.

No. 182/XXXVI(3)/2011/15(1)/2011
Dated Dehradun, April 29, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

**THE UTTARAKHAND TAXATION AND LAND-REVENUE LAWS (AMENDMENT)
ACT, 2011**

[Uttarakhand Act No. 17 of 2011]

An

Act

further to amend the Uttar Pradesh Taxation and Land-Revenue Laws Act, 1975 (as applicable to the State of Uttarakhand) in its application to the State of Uttarakhand;

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-Second year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Taxation and Land Revenue Laws (Amendment) Act, 2011.

(2) They shall come into force with immediate effect.

Amendment of Section 3 2. In the Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975 (as applicable to State of Uttarakhand), hereinafter referred to as the Principal Act,-

In section 3 of the "Principal Act", for the existing clauses (c) and clause (h), the following clauses shall be substituted; namely :-

"(c) "hotel" includes a residential unit (including a tent made unit) wherein rooms are provided to customers on rent and it also includes conference hall, marriage hall, community hall, mandap, club, lodge, tentage resort and also space provided on rent by the owners of open space for business purposes, but does not include approved units under paying guest scheme of the department of tourism of the Uttarakhand Government.

(h) "rent" means the aggregate of all charges, by whatever name called actually realized from the occupiers of rooms or suites of rooms in a hotel and for business purposes providing conference hall, marriage hall, community hall, mandap, club, lodge, tentage resort and open space and includes air-conditioning, cooler, heater, geyser, blower, telephone, television, radio, package deal, music, entertainment, additional bed, summing pool, SPA, health oriented other programmes, beauty parlour and linen made items but does not include charges of food or drinks or charges of items on which commercial tax under the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 is payable."

**Amendment of 3.
Section 4**

In section 4, of the "Principal Act", for the existing sub-section (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted; namely-

"(1) Luxury tax shall be payable at the following rate by every person who occupies any room or suite of rooms-

	rent per day	rate of luxury tax
(a)	Rs. 1000 to 3500	5 percent
(b)	above Rs. 3500	10 percent

(2) Providing for business purposes conference hall, marriage hall, community hall, mandap, club, lodge, tentage resort and open space, 5 percent of the rent, where the rent is more than Rs. 10000.00 per day."

Amendment of Section 5 4. In section 5, of the "Principal Act", in sub-section (2), for the words "simple interest at the rate of 18 percent per annum" occurring therein the words "simple interest at the rate of 15 percent per annum" shall be substituted.

Amendment of Section 6 5. In section 6, of the "Principal Act", after sub-section (2), the following sub-section(3) shall be added; namely-

"(3) Registration:

any owner of the hotel who is liable for luxury tax under this Act, shall get the hotel registered within such time and in such manner as may be prescribed;

Provided that the owner of the hotel who is liable for luxury tax shall be allowed 30 days time from the time he is first liable to pay luxury tax;

Provided further that the hotel owners who are paying luxury tax shall apply for registration within 30 days from the date of the commencement of this Act in such manner as may be prescribed."

Amendment of Section 7 6. In section 7, of the "Principal Act", for the existing section 7, the following section shall be substituted; namely-

"7. (1) Payment of composition fee in lieu of tax:-

Notwithstanding anything to the contrary in this chapter, the assessing authority may permit the owner of the hotel to pay in lieu of the tax payable by him under this chapter a lump sum by way of composition subject to such conditions as may be prescribed.

(2) Composition scheme:

All registered hotels whose rent of each room is from Rs. 1000.00 to Rs. 2000.00 and the number of rooms is up to 20, may, subject to the provisions of this Act opt for lump sum composition amount in lieu of tax.

(3) Where a composition money for a period has been accepted in respect of any hotel, any change in the rate of tax which may come into force after the date of such agreement shall have the effect of making a proportionate change in the lump sum or the rate agreed upon in relation to that part of the assessment during which the changed rate remains in force.

(4) Where the State Government is of the opinion that it is no longer in the public interest to continue any scheme of lump sum composition amount in lieu of tax, it may at any time during the period, withdraw such scheme and in that case if a lump sum amount of composition money has been fixed, a part of it in proportion to the part of the period during which the scheme remained in force shall be payable by the hotel owner.”

**Amendment of 7.
Section 10**

In section 10 of the “Principal Act”, after sub-section (2), the following sub-section(3) shall be added; namely-

“(3) If any person responsible for obtaining registration under this Act, runs or continues to run the hotel without registration under the provisions of section 6, shall, from the date he is liable for registration, be liable for penalty of two hundred rupees for each month or part thereof for default for the first three months and after the first three months five hundred rupees for each month or part thereof in which default continues.”

By Order,

RAM SINGH,
Principal Secretary.